

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री गोपीराम अग्रवाल, आरटीआई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, राजस्थान।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर) दौसा, जिला दौसा
अपील सं० 50/2020

निर्णय

दिनांक : 03.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर) दौसा, जिला दौसा को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के अन्तर्गत चाही गई सूचना भिजवाने हेतु पत्रांक: आरटीआई/2020/871 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रभारी अधिकारी, (राजस्व शाखा) कलेक्ट्रेट, दौसा को प्रेषित किया गया। किन्तु प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। जिससे पीडित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर) दौसा को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं संलग्नक की छाया प्रति पत्रांक: डी०एम०/कोर्ट/2020/2303 दिनांक 19.11.2020 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर) दौसा ने अपने पत्रांक 1047 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त होने पर आवेदक को सूचना शुल्क जमा कराने हेतु पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/983 दिनांक 28.10.2020 प्रेषित किया गया। परन्तु आवेदक द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया जाने से अवगत कराया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा